नई शिक्षा नई उड़ान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
नये युग की शुरुआत
एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
शुभारंभ
26 अगस्त, 2021

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
नये युग की शुरुआत
एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
शुभारंभ

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
नये युग की शुरुआत
एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
शुभारंभ
26 अगस्त, 2021

मध्यप्रदेश शासन

नई शिक्षा : नई उड़ान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

सत्यमेव जयते

राज्यपाल, मध्यप्रदेश
GOVERNOR OF MADHYA PRADESH

मंगुभाई पटेल
MANGUBHAI PATEL

राज भवन
भोपाल-462052
RAJ BHAVAN
BHOPAL-462052

क्रमांक 107/राजभवन/2022
भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2022

संदेश

हर्ष का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

शिक्षित व्यक्ति का समाज में आचरण और चिंतन ही उच्च शिक्षा की कसौटी होता है। शिक्षा की सार्थकता केवल ज्ञान केन्द्रित होने में नहीं, मूल्य केन्द्रित होने में है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के द्वारा बंधनमुक्त शिक्षा के द्वारा युवाओं को अपने हौसलों को साकार करने और भारत को ज्ञान की महा शक्ति बनाने का अवसर दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा और शिक्षण में नए विचारों और प्रयोगों के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण में शिष्य और शिक्षक का सामान उत्तरदायित्व है।

आशा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, विद्यार्थी नई शिक्षा नीति में मिले अवसरों के सफल उपयोग द्वारा कुशल और क्षमतावान नागरिक के रूप में अपनी गौरव गाथा लिखने में सफल होंगे।

शुभकामनाएँ,

(मंगुभाई पटेल)

दूरभाष : 0755-2858828, 2858830, फैक्स : 0755-2858832, ई-मेल : mprajbhavan@mp.gov.in

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

दिनांक : 02.04.2022
पत्र क्रमांक : 868/22

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 6 अप्रैल को "युवा संवाद" कर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार और दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आकार लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा से जुड़े सभी हितबद्ध समूहों के विचारों को भी नीति सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समसामयिक वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं। विद्यार्थियों की क्षमता विकास, कौशल उन्नयन के लिये की गई व्यवस्था से भारतीय शैक्षणिक परिदृश्य अधिक व्यवहारिक और उद्देश्यपरक होगा।

युवा संवाद कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों की बेहतर समझ और सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस अवसर पर पुस्तिका का प्रकाशन विद्यार्थियों के जीवन में नए आयाम स्थापित करेगा और उनकी सोच को नई दिशा प्रदान करेगा। ऐसी कामना है।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(शिवराज सिंह चौहान)

डॉ. मोहन यादव
मंत्री
उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन
(प्रभारी जिला - राजगढ़ एवं डिण्डौरी)

मंत्रालय : कक्ष क्र. E-216, VB-III,
भोपाल - 462004
निवास : विंध्य कोठी, भोपाल
दूरभाष : 0755-2430757, 2430457 (निवास)
0755-2708682 (मंत्रालय)
ई-मेल : mohan.yadav@mpvidhansabha.nic.in
drmyadavujn@gmail.com
drmohanyadav65@gmail.com

पत्र कं. : 560
दिनांक : 30.3.2022

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व का विषय है कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को देश में लागू करने वाला अग्रणी राज्य बना है। इस नीति के क्रियान्वयन के साथ ही मध्यप्रदेश में विद्यार्थियों के लिये शिक्षा के कई नए द्वार खुले हैं।

विभाग का यह सतत् प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश की युवा पीढ़ी को बहुविषयक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट का प्रावधान के साथ परिणाम आधारित पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया। रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालयों में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन, विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना एवं उनके माध्यम से सीड मनी वितरण की कार्यवाही की गयी। शिक्षा की पहुँच में वृद्धि के उद्देश्य से महाविद्यालयों में नवीन दूरस्थ केन्द्रों की स्थापना की गयी है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों के साथ एम.ओ.यू. के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुमुखी मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयास किये गये हैं।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने की दृष्टि से महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा प्लेसमेंट/उद्यमिता सेल की स्थापना के अतिरिक्त ई-कंटेंट निर्माण, चयनित महाविद्यालयों का गुणवत्ता अध्ययन केन्द्रों के रूप में उन्नयन, आई.आई.टी. इन्दौर के सैटेलाइट कैम्पस के सेन्टर को उज्जैन में खोलने की स्वीकृति, प्रशासन अकादमी से व्यावसायिक विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा जिला एवं संभाग स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं का आयोजन जैसे उल्लेखनीय कार्यों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की नींव मजबूत हुई है तथा उसे विशेष गति भी मिली है।

'युवा संवाद' कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केन्द्रित पुस्तिका के प्रकाशन से प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को इस नीति के विभिन्न पक्षों/आयामों को उनकी समग्रता एवं व्यापकता में जानने-समझने की दृष्टि के साथ ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिग्दर्शिका के प्रकाशन के लिए आत्मीय स्वस्ति कामनाएँ।

(डॉ. मोहन यादव)

उज्जैन कार्यालय : 1/1, मुंज मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म. प्र.) दूरभाष क्र. 0734-4070900

अनुक्रम

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	**प्राक्कथन/वक्तव्य/भूमिका**	**1-4**
2.	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु एवं नवाचार**	**5-8**
	• चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम	
	• बहुविषयक शिक्षा	
	• बहुआगमन एवं निर्गमन	
	• परिणाम आधारित शिक्षा एवं पाठ्यक्रम	
	• भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से युक्त समावेशी शिक्षा	
	• व्यावसायिक शिक्षा का समावेश	
	• योग्यता संवर्धन	
	• अकादमिक लचीलापन	
	• ऑनलाइन अध्ययन सुविधा	
3.	**अकादमिक संरचना : विस्तृत विवरण**	**8-17**
	• मुख्य विषय	
	• गौण विषय	
	• वैकल्पिक विषय	
	• सामान्य वैकल्पिक विषय	
	• वैकल्पिक विषय का चयन	
	• व्यावसायिक विषय	
	• योग्यता संवर्धन आधार पाठ्यक्रम	
	• व्यावहारिक ज्ञान	
	• परियोजना कार्य	
	• प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता	
	• सामुदायिक जुड़ाव / सेवा कार्य	
4.	**पाठ्यक्रम संरचना**	**18-19**
	• पाठ्यक्रम – विभाजन	
	• खण्ड अ - सामान्य जानकारी एवं लर्निंग आउटकम	
	• खण्ड ब - पाठ्यक्रम की विषय वस्तु	
	• भाग स - अनुशंसित अध्यापन के संसाधन	
	• भाग द - मूल्यांकन विधि	
5.	**ग्रेड कार्ड** **एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज एजीपीए एवं सीजीपीए की गणना**	**19-21**
6.	**वर्षवार प्रश्नपत्रों की संख्या एवं क्रेडिट**	**21-24**
7.	**टास्क फोर्स / शीर्ष समिति / समन्वय प्रकोष्ठ**	**24-25**

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 से प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया। इस नीति के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों को समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये गये है। बदलते वैश्विक परिवेश में यह आवश्यक है कि हम विद्यार्थियों को व्यावहारिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करायें। सदैव यह प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं तार्किक सोच के साथ नैतिकता एवं संवेदनशीलता विकसित हो।

विभाग द्वारा स्नातक स्तर पर च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित अकादमिक संरचना लागू की गयी है। जिसमें सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया गया है।इसके साथ ही इंटर्नशिप, एपरेन्टसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट एवं सामुदायिक जुड़ाव और सेवा को शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नवीन शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थी केन्द्रित है। विभाग ने केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के माध्यम से स्नातक प्रथम वर्ष के लिए परिणाम आधारित 85 पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय समृद्ध ज्ञान परम्परा के साथ व्यावहारिक ज्ञान को समाहित किया गया है। नीति के सफल क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर तथा संभाग स्तर पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये। 25 व्यावसायिक विषयों के अध्यापन के लिये प्रशासन अकादमी के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इसके साथ ही ई-कंटेंट उपलब्ध कराये गये हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विभाग विद्यार्थियों को 'ग्लोबल सिटीजन' बनाने हेतु नये क्षितिज प्रदान करेगा।

शैलेन्द्र सिंह, आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग

वक्तव्य

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन के प्रयासों में सदैव तत्पर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सर्वप्रथम लागू करने के साथ ही विभाग द्वारा इस हेतु किए गए सतत् विचार मन्थन के उपरांत नीति को बहुउपयोगी बनाए जाने के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों का भी अध्ययन किया गया। इसके साथ ही जी.ई.आर. की वृद्धि के लिए भी समस्त शैक्षणिक विभाग से सामंजस्य स्थापित कर सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग ने अपनी प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शिक्षा को पूर्व की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक एवं व्यावसायिक रूप देने का प्रयास किया है, जिससे कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में हम अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा सकें। जहाँ परिणाम आधारित नये पाठ्यक्रम, नयी विषय वस्तु के साथ विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार कराए गए हैं, वहीं महाविद्यालयों में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देकर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने का भी प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, जिला, संभाग व राज्य स्तर पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं बैठकों के माध्यम से हर वर्ग को इस नीति से परिचित कराने के साथ उन्हें अद्यतन जानकारी प्रदाय की गई। विद्यार्थियों को विषय अध्ययन में असुविधा न हो इस हेतु ऑॅनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं के अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के रूप में ई-कन्टेन्ट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। विश्वास है कि अपने प्रयासों की समग्रता में विभाग युवाओं के लिए शिक्षा के नए द्वार खोलेगा, जिसका मार्ग राष्ट्र के विकास एवं भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा।

दीपक सिंह, आई.ए.एस.
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय

भूमिका

मनुष्य जीवन में प्रतिभा एवं दक्षता ईश्वर प्रदत्त तथा प्रयत्नज होती है, किन्तु उसका सम्पूर्ण विकास अवसर एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह केवल मनुष्य मात्र के व्यक्तित्व विकास के लिए ही नहीं, अपितु व्यक्ति के माध्यम से सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के विकास की दृष्टि से भी नितांत आवश्यक है। मानव प्रतिभा, क्षमता और दक्षता को उसकी सम्पूर्णता में प्रतिफलित करने की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपनी एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राष्ट्र की विश्व स्तर पर पहचान सामान्यत: सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक उन्नति, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास पर आधारित होती है। अगले दशक में भारत विश्व की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश होने के कारण उसका उज्ज्वल भविष्य युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने से ही सम्भव होगा।

वैश्विक शिक्षा विकास संकल्पना के अनुरूप भारत में सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य है। यद्यपि भारत की ज्ञान परम्परा बहुत प्राचीन एवं समृद्धशाली रही है तथा उसे विश्व गुरू कहा जाता है। तथापि विगत दशक में पूरे विश्व में ज्ञान का परिदृश्य बड़ी तेजी से परिवर्तित हुआ है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप मानव जीवन जहॉ सहज, सुविधाजनक एवं संसाधन समृद्ध हुआ है, वहीं बहु विशेषज्ञता एवं योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता भी महसूस की गई है।

वैश्विक स्तर पर रोजगारमूलकता के महत्व के कारण आये परिवर्तनों को देखते हुए आज यह आवश्यक हो गया है कि सतत् सीखने की कला के साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर बल दिया जाए कि विद्यार्थी समस्या – समाधान, तार्किक एवं रचनात्मक रूप से चिंतन करना सीखे। विविध विषयों के मध्य अन्तर्सबंधों के बारे में उनकी समझ व्यापक रूप में विकसित हो। प्रयास यह भी किया जाए कि सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के केन्द्र में विद्यार्थियों हों और यह प्रक्रिया रूचिपूर्ण होने के साथ ही समग्रता एवं समन्वित रूप से देखने – समझने की दृष्टि विकसित करने वाली हो। पाठ्यक्रम ऐसे हों, जिनमें तकनीकी, व्यावसायिक विज्ञान, गणित आदि विषयों के साथ कला, शिल्प, मानविकी, स्वास्थ्य, साहित्य, संस्कृति और मूल्य आदि समावेशित हों। विद्यार्थी रोजगार की दृष्टि से सक्षम तो बने ही, उसमें नैतिकता, तार्किकता, चरित्र निर्माण एवं संवदेनशीलता आदि का विकास संभव हो सके। हमारी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जिसमें बेहतर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ विद्यार्थियों को सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली ऐसी शिक्षा नीति है, जिसमें देश के विकास संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को केन्द्र में रखा गया है। यह नीति हमारी प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान एवं विचार की समृद्ध परंपरा की आधारभूमि के साथ तैयार की गई है, ताकि हम अपनी परंपरा एवं जड़ों से जुड़ कर विकास का एक नया इतिहास रच सकें।

यह अत्यंत गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने वाला देश में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। उच्च शिक्षा विभाग मात्र इस नीति को लागू करने तक ही सीमित नहीं है, प्रदेश के विद्यार्थियों के समग्र एवं समेकित विकास की विस्तृत संकल्पनाओं के साथ लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में भी सतत् रूप से अग्रसर है। इस महत्वपूर्ण प्रकल्प को परिणाम मूलक बनाने की दृष्टि से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय

टास्क फोर्स, 04 सदस्यीय शीर्ष समिति एवं आयुक्त उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण एवं समग्रता मूलक बनाए जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कई प्रावधान किए गए हैं। च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के साथ बहुआगमन एवं निर्गमन पद्धति लागू करने से प्रदेश में सकल पंजीयन अनुपात में वृद्धि तो होगी ही, विद्यार्थी अपनी रूचि एवं सुविधानुसार अध्ययन कर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक सोच एवं अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके, इस हेतु पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक ज्ञान को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्व में प्रचलित कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की परिसीमाओं से पृथक विद्यार्थियों को विषयों के मिश्रित चयन की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय से वैकल्पिक विषय चयन करने की भी स्वतंत्रता दी गयी है। इस क्रम में कला संकाय से 25, विज्ञान संकाय से 20 एवं वाणिज्य संकाय से 05 व अन्य संकाय से एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के चयन का अवसर भी विद्यार्थियों को दिया गया है। पाठ्यक्रमों में भारतीय प्राचीन ज्ञान सम्पदा को सम्मिलित करने के साथ ही राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के रचनाकारों, साहित्यकारों, समाजशास्त्रियों, वैज्ञानिकों एवं प्रतिष्ठित इतिहासकारों से जुड़े प्रेरक एवं रोचक प्रसंगों का विद्यार्थियों हेतु समावेश किया गया है, ताकि हम अपनी गौरवशाली परंपरा का परिचय प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित नवाचारों की एक महत्वपूर्ण पहल यह भी है कि इसमें सामान्य शिक्षा को भी कौशल संवर्धन के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम निर्माण किया गया है। रोजगारोन्मुखी एवं व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। इंटर्नशिप / एपरेन्टसशिप / फील्ड प्रोजेक्ट तथा कम्यूनिटी एन्गेजमेंट एण्ड सर्विस को विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से सम्मिलित किया गया है। हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के साथ अब विद्यार्थी सामयिक महत्व के विषयों यथा पर्यावरण अध्ययन, स्टार्टअप्स, उद्यमिता के साथ योग एवं ध्यान, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण का आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन कर सकेंगे। तकनीकी माध्यम से ज्ञान को सुलभ बनाने की दृष्टि से SWAYAM / NPTEL / Open University के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का विकल्प भी विद्यार्थियों को दिया गया है। प्रदेश के शिक्षकों द्वारा तैयार ई-कंटेंट भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विभाग द्वारा आयोजित किए गए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की योजना एवं क्रियान्वयन संबंधी व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण को लेकर सतत् रूप से अग्रसर है। इस दिशा में विभाग द्वारा किए गए अभिनव प्रयास विद्यार्थियों के भविष्य, मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं राष्ट्र के विकास की एक नयी परिभाषा गढेंगे, ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है।

डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु एवं नवाचार

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने डॉ. के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को लागू करते हुए यह कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महज एक सर्कुलर नहीं है, बल्कि एक महायज्ञ है, जो नये देश की नींव रखेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना और भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना, भारत की प्राचीन समृद्ध ज्ञान परंपरा से शिक्षा को जोड़ना, मातृभाषा को महत्व देना, विद्यार्थी को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को 'ग्लोबल सिटीजन' बनाना भी है। शिक्षा को ज्ञान मूलक के साथ रोजगार परक बनाना तथा विद्यार्थियों को जिम्मेदार और मानवीयता से परिपूर्ण नागरिक बनाना भी है।

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। राज्यपाल, माननीय मंगुभाई जी पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, और उच्च शिक्षा माननीय मंत्री माननीय डॉ. मोहन जी यादव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विधिवत उद्घाटन दिनांक 28 अगस्त 2021 को किया गया। सत्र 2021-22 से मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश के समस्त शासकीय और निजी महाविद्यालयों में क्रियान्वित की गई है।

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के समग्र तथा सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय टास्क फोर्स, 4 सदस्यीय शीर्ष समिति तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया। मध्यप्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं -

1. चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित स्नातक पाठ्यक्रम चार वर्षीय होगा। इस सिस्टम में किसी भी संकाय में प्रवेशित विद्यार्थी को अपने संकाय से एक मुख्य विषय (Major) एक गौण विषय (Minor) एक वैकल्पिक विषय (Open Elective) के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही फील्ड प्रोजेक्ट्स / इंटर्नशिप/ शिक्षुता/ प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा (Field Projects / internship/ apprenticeship/Community Engagement & Services) का अध्ययन करना होगा।

2. बहुविषयक शिक्षा

वैकल्पिक विषय का चयन करते समय विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने मूल संकाय से अथवा किसी अन्य संकाय से (महाविद्यालय में उपलब्धता के अनुसार) भी अपनी रुचि अनुसार Open Elective Course का चयन कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुसार विषय चयन की स्वतंत्रता होगी। उदाहरण के लिये यदि विज्ञान संकाय का विद्यार्थी अपने मुख्य विषय के साथ संगीत या साहित्य विषय का अध्ययन करना चाहता है, तो वह Open Elective यानी वैकल्पिक विषय के अन्तर्गत अपनी अभिरुचि अनुसार विषय का अध्ययन कर सकेगा।

3. बहुआगमन एवं निर्गमन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक स्तर पर बहुआगमन और निर्गमन का प्रावधान रखा गया है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में रह जाए तो अध्ययन अंतराल के बाद जब वह पुनः अपनी पढ़ाई जारी करेगा तो पूर्व पढ़ाई का लाभ उसे मिल जायेगा। विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम छोड़ने / संस्था परिवर्तित करने/ विश्वविद्यालय परिवर्तित करने पर उनके द्वारा तत्समय तक अर्जित क्रेडिट यथावत बने रहेंगे।

स्नातक प्रथम वर्ष में कुल क्रेडिट 40 होंगे। यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष में 40 क्रेडिट अर्जित कर लेते हैं तो उसे सर्टिफिकेट प्राप्त करने की पात्रता होगी। दो वर्षों के अध्ययन के पश्चात 80 क्रेडिट अर्जित करने पर डिप्लोमा तथा तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करने पर डिग्री प्राप्त करने की पात्रता होगी। स्नातक चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी को 160 क्रेडिट प्राप्त होने पर बैचलर विथ रिसर्च / ऑनर्स की पात्रता होगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश तथा प्रत्येक वर्ष में निर्धारित 40 क्रेडिट अर्जित करने के उपरांत विद्यार्थी को प्रस्थान की पात्रता होगी।

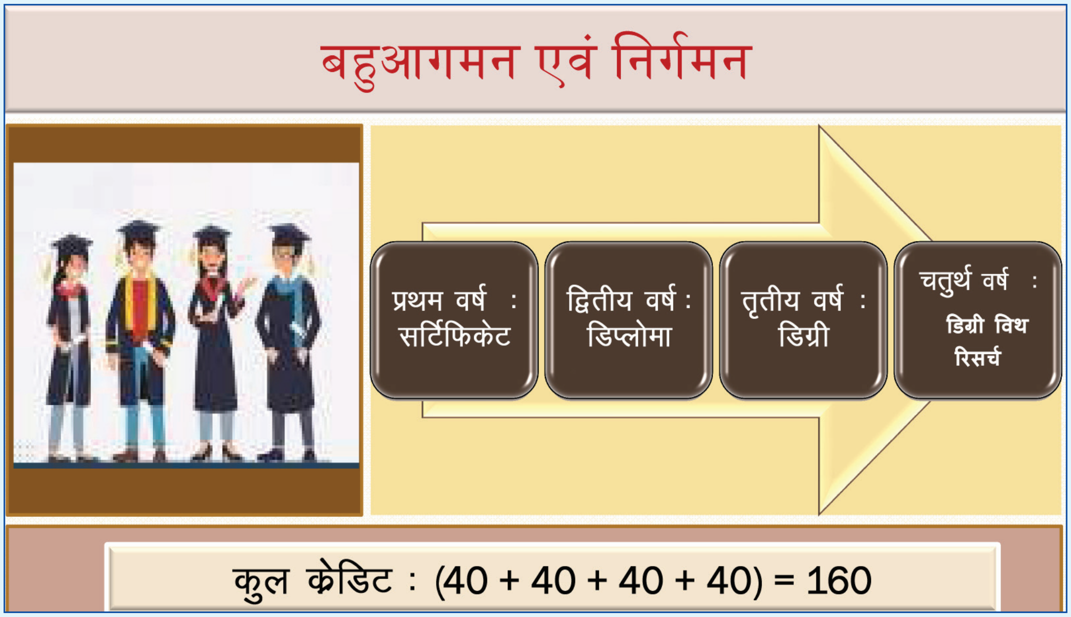

4. परिणाम आधारित शिक्षा एवं पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्लास रूम टीचिंग के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जोयगी। महज किताबी ज्ञान देना इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य नहीं होगा। रटन्त प्रवृत्ति को समाप्त करने के साथ विद्यार्थियों में विषय की गहरी समझ विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच और तार्किक क्षमता बढ़ाने और उनमें निर्णय लेने तथा नवाचार की भावना को विकसित करने का उपक्रम यह पाठ्यक्रम करेगा। विषय के प्रति विद्यार्थी की अवधारणात्मक सोच बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम से परिणाम आधारित शिक्षा को बल मिल सकेगा और विद्यार्थी को इस परिणाम आधारित शिक्षा से अपनी मौलिक सोच और रचनात्मकता को प्रकट करने का

अवसर मिल सकेगा। विद्यार्थियों की ड्राप आउट संख्या घटेगी। भविष्य में शत-प्रतिशत इनरोलमेंट के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे।

5. भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से युक्त समावेशी शिक्षा

भारत की समृद्ध और अक्षुण्य ज्ञान परंपरा को प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जोड़ना है तथा इस ज्ञान परंपरा का आधुनिक संदर्भों में उपयोग करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण बिन्दु है। प्रदेश के पाठ्यक्रमों में प्राचीन भारतीय ज्ञान संपदा को शामिल करके राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों साहित्यिकारों और राजनीतिज्ञों के योगदानों का भी अध्ययन और अध्यापन किया जायेगा।

6. व्यावसायिक शिक्षा का समावेश

विभाग द्वारा जो नवाचार किये गये है उसमें एक नई पहल यह भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु शिक्षा को कौशल संवर्धन के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। इसमें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया है।

7. योग्यता संवर्धन

इस नीति में विद्यार्थी की योग्यता का संवर्धन होगा। हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ पर्यावरण अध्ययन, स्टार्टअप्स के साथ संगीत, शिल्प, खेल, योग, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण जैसे कोर्सेस को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। निश्चित ही इन कोर्सेस का अध्ययन करके विद्यार्थी की योग्यता का संवर्धन हो सकेगा।

8. अकादमिक लचीलापन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक सशक्त बिन्दु इसका लचीलापन है। जिसकी वजह से अब विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के बीच जो गहरी विभाजक सीमा रेखा थी, वह टूटी है। अब विद्यार्थी के पास मिश्रित चयन की सुविधा है। विद्यार्थी अपने मूल संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय से भी विषय का चयन कर सकता है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ में कला संकाय से 25, विज्ञान संकाय से 20, वाणिज्य संकाय से 05 तथा अन्य संकाय से एन.सी.सी., एन.एस.एस. और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के चयन का अवसर प्रदान किया गया है।

9. ऑनलाइन अध्ययन सुविधा

विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का विकल्प रहेगा। यह भी एक नवाचार है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी भारत सरकार के SWAYAM पोर्टल / मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधनों से पूर्ण कर सकते हैं।

नवाचार -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ कौशल विकसित करना है। इसलिये व्यावसायिक विषयों पर विद्यार्थियों का फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और एप्रेन्टिसशिप तथा कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से कृषि, औद्योगिक नीति, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और

उद्यानिकी आदि से विद्यार्थियों को जोड़ा जायेगा, ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। इस तरह से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया गया है।

हमारा मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। शिक्षा ही विकास की वाहिका है। शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचार न केवल शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ायेगें अपितु विद्यार्थी के शैक्षणिक ज्ञान के साथ उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास में सहायक होंगे। कौशल का भी विकास करेगें। इस तरह शिक्षा विद्यार्थी का एकमुखी नहीं बहुमुखी विकास करेगी। विद्यार्थी को केन्द्र में रखकर बनाई गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थी दबावों से मुक्त होकर अपनी-अपनी अभिरुचि और क्षमतानुसार विषय चयन करके शिक्षित होंगे, रोजगार प्राप्त करेगें और मूल्यों से संपृक्त होकर सच्चे अर्थों में अच्छे और संवेदनशील तथा जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे।

अकादमिक संरचना : विस्तृत विवरण

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नवीन अकादमिक संरचना निम्नानुसार होगी -

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिये इच्छुक विद्यार्थी को एक संकाय का चयन करना होगा। इस चुनाव के लिये संकाय विशेष के संदर्भ में पूर्व पात्रता (Pre Requisite) निर्धारित है।

1. मुख्य विषय (Major Subject)

विद्यार्थी को प्रवेशित अपने संकाय से एक मुख्य (Major) विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी के द्वारा लिए गए तीन विषयों में से एक विषय वह मुख्य विषय के रूप में पढेगा। मुख्य विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे। भविष्य में स्नातकोत्तर करने के लिए वह इस मुख्य विषय में पात्र होगा। अतः मुख्य विषय का चयन विद्यार्थी को आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पालक अभिभावक से विचार विमर्श करके ही चयन करना चाहिए।

2. गौण विषय (Minor Subject)

विद्यार्थी को प्रवेशित (मूल) संकाय से ही गौण Minor विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। मुख्य विषय के चयन के पश्चात शेष दो विषय में से अपनी ही संकाय के एक विषय का चयन गौण या माइनर विषय के रूप में करना है। गौण विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा।

3. वैकल्पिक विषय (Open Elective subject)

मुख्य एवं गौण विषय चयन के पश्चात अपने संकाय से जो तीसरा विषय शेष बचा है उसे वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करें। वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा। यदि विद्यार्थी तीसरे विषय के रूप में अपने संकाय का वैकल्पिक विषय नहीं

Academic Structure : UG Program

		Own Faculty		Any Faculty	Skill Enhancement Course	Ability Enhancement Course	Field projects/internship/ apprenticeship/community engagement and service	Credits		Qualification title (Credit requirement)
		Subject I	Subject II	Subject III						
	Year	Major	Minor	Elective Course	Vocational Course	Foundation Course	Inter /Intra Faculty related to main Subject	Credit Distribution	Total Credits per year	
Level 5	1	2 (12 credits) 6 credit each	1 (06 credits)	1 (06 credits)	1 (4Credits)	2 (8Credits) 4 credit each	1 (4Credits)	12 + 6 +6 4+8+4	40	(40) Undergraduate Certificate in Faculty
Level 6	2	2 (12 credits) 6 credit each	1 (06 credits)	1 (06 credits)	1 (4Credits)	2 (8Credits) 4 credit each	1 (4Credits)	12 + 6 +6 4+8+4	40	(80) Undergraduate Diploma in Faculty
Level 7	3	2 (12 credits) 6 credit each DSE	1 (06 credits)	1 (06 credits)	1 (4Credits)	2 (8Credits) 4 credit each	1 (4Credits)	12 + 6 +6 4+8+4	40	(120) Bachelor in Faculty
Level 8	4	2 (12 credits) 6 credit each 2 (08 credits) 4 credit each	1 Research Methodology (4credits) 1 (4Credits)				1 (12Credits) (6+6) internship/apprenticeship related to main Subject/ Research Project	20+4 +4+12	40	(160) Bachelor (Honours/ Research) in faculty
Total		56 Credits	26 Credits	18 Credits	12 Credits	24 Credits	24 Credits		160 Credits	

Eligibility will have pre-requisites.

Credits are given in (in red)

पढ़ना चाहता है तो विद्यार्थी को यह सुविधा दी गई है कि वह अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है।

विद्यार्थी द्वारा चयनित मुख्य या गौण विषय से संबंधित वैकल्पिक विषय को चुनने की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषयों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें से विद्यार्थी अपनी रूचि एवं योग्यता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं शारीरिक शिक्षा का भी चयन कर सकता है, यदि प्रवेशित महाविद्यालय में एन.सी.सी., एन.एस.एस. इकाई संचालित हो। कला और वाणिज्य के एकल संकाय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय में विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

सामान्य वैकल्पिक विषय (Generic Elective Subject)

कला संकाय

1.	मध्यप्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय	2.	धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र	3.	भारतीय अर्थव्यवस्था-एक परिचय
4.	संगठनात्मक व्यवहार	5.	कम्युनिकेटिव अंग्रेजी	6.	भौतिक भूगोल
7.	पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन	8.	हिन्दी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय	9.	भारत में विरासत प्रबंधन
10.	भारत का संवैधानिक इतिहास	11.	चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन	12.	रंगाई और छपाई
13.	बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण	14.	भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन	15.	मध्यप्रदेश की संगीत विरासत
16.	श्री रामचरित मानस का दार्शनिक चिंतन	17.	लोक प्रशासन : सिद्धांत एवं व्यवहार	18.	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
19.	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	20.	समाजशास्त्र का परिचय	21.	भारत का समाजशास्त्र
22.	मध्य प्रदेश में उर्दू ग़ज़ल	23.	उर्दू जबान और मुख़्तलिफ़ असनाफ़	24.	प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन
25.	हाउस कीपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट	26.	भगवद गीता का वर्तमान संदर्भ		

विज्ञान संकाय					
1.	हर्बल प्रसाधन सामग्री	2.	नर्सरी प्रबंधन	3.	दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र
4.	औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत	5.	कम्प्यूटर फंडामेंटल	6.	एमएस ऑफिस
7.	मल्टी मीडिया और एनिमेशन	8.	स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन	9.	भूविज्ञान के तत्व
10.	खनिज और चट्टानें	11.	रंगाई और छपाई	12.	बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण
13.	लॉजिक और सेट	14.	मैट्रिक्स, ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित	15.	गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन
16.	मानव रोग	17.	मधुमक्खी पालन	18.	रेशम उत्पादन
19.	प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन	20.	हाउस कीपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट		

वाणिज्य संकाय					
1.	व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत	2.	लेखांकन का मूल सिद्धांत	3.	भारत में बैकिंग संस्थाएं
4.	मुद्रा एवं बैकिंग	5.	व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन		

अन्य वैकल्पिक विषय					
1.	एन.सी.सी.	2.	एन.एस.एस.	3.	शारीरिक शिक्षा

वैकल्पिक विषय का चयन				
आवंटित संकाय	**आवंटित समूह**	**मुख्य**	**गौण**	**वैकल्पिक विषय**
विज्ञान	गणित / बायो समूह	गणित/ बायो समूह	गणित/ बायो समूह	गणित / बायो समूह से अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / कला/ अन्य
वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य के 8 वैकल्पिक अथवा सामान्य वैकल्पिक - कला / अन्य/ विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)
कला	कला	विषय - 1	विषय - 2	कला संकाय से वैकल्पिक विषय अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / अन्य / विज्ञान (यदि महाविद्यालय में विज्ञान संकाय संचालित हो तो

आवंटित संकाय	**आवंटित समूह**	**मुख्य**	**गौण**	**वैकल्पिक विषय**	**रिमार्क**
विज्ञान	भौतिकी रसायन गणित	भौतिकी	रसायन	गणित अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / कला/ अन्य	विज्ञान विषय का ओपन इलेक्टिव नहीं लेना है।
विज्ञान	भौतिकी रसायन कम्प्यूटर साईस	भौतिकी	रसायन	कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / कला / अन्य	कम्प्यूटर विषय का ओपन इलेक्टिव नहीं लेना है।
रसायन	रसायन	मुख्य 1 और 2 (अनिवार्य)	गौण (अनिवार्य)	वाणिज्य के 8 वैकल्पिक अथवा सामान्य वैकल्पिक - कला / अन्य/ विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)	वाणिज्य संकाय हेतु 8 ओपन इलेक्टिव निर्धारित किए गए है। छात्रों द्वारा वाणिज्य के केवल 8 OE लिया जाना है अथवा अन्य संकाय के OE से लेना है।
कला	तीन विषयों का समूह	विषय - 1	विषय - 2	कला संकाय से विषय-3 अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / अन्य/ विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)	कला संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषयों का चयन नहीं करना है।

वैकल्पिक विषय (इलेक्टिव) की उपलब्धता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2021-22 से
स्नातक प्रथम वर्ष के लिए जारी पाठ्यक्रम

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जारी निर्देश

1. मुख्य, गौण एवं वैकल्पिक विषय
   - कला संकाय
   - विज्ञान संकाय
   - वाणिज्य संकाय
   - बी.बी.ए
   - बी.एच.एससी/बी.एससी-गृह विज्ञान
   - होटल मैनेजमेंट
   - टूर एवं ट्रेवल मैनेजमेंट
   - टूरिज्म मैनेजमेंट
   - बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार
   - प्राच्य संस्कृत (शास्त्री)
   - खाद्य प्रौद्योगिकी
   - बी.लिब.आई.एससी.
   - बी.सी.ए.
2. अन्य वैकल्पिक विषय
   - कला संकाय
   - विज्ञान संकाय
   - वाणिज्य संकाय
   - एनसीसी
   - एनएसएस
   - शारीरिक शिक्षा

चयनित संकाय :
मुख्य (मेजर)
गौण (माइनर)
वैकल्पिक(इलेक्टिव)

अन्य संकाय :
वैकल्पिक(इलेक्टिव)

क्र.	वाणिज्य संकाय	मुख्य विषय	गौण विषय	वैकल्पिक विषय
1	वाणिज्य	1. वित्तीय लेखांकन 2. व्यावसायिक नियमन रूपरेखा	1. व्यावसायिक संगठन एवं संचार	1.व्यावसायिक अर्थशास्त्र 2.अधिकोषण एवं बीमा 3.व्यावसायिक गणित 4.विक्रय संवर्धन 5.आशुलिपि के मूल सिद्धांत 6.डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर 7.कार्यालय संगठन एवं प्रबंधन 8भारत में पर्यटन उत्पाद

कला संकाय — विज्ञान संकाय — एन सी सी, एन एस एस, शारीरिक शिक्षा

4. व्यावसायिक विषय (Vocational Course)

उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु व्यावसायिक एवं कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग है। नीचे दी गई सूची में से प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी को रोजगार की संभावना को दृष्टि में रखते हुए अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कौशल विकास के पाठ्यक्रमो मे से एक व्यवसायिक विषय का चयन करना होगा। व्यावसायिक विषय प्रतिवर्ष 4 क्रेडिट का होगा तथा इनकी प्रशिक्षण अवधि 60 घण्टे की होगी। विद्यार्थी प्रतिवर्ष नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं अथवा उसी चयनित किये पाठ्यक्रम में उत्तरोत्तर कौशल संर्वधन के आधार पर भी अध्ययन कर सकते हैं।

यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यावसायिक विषय का अध्ययन न करके स्वयं के व्यय से भारत सरकार के SWAYAM पोर्टल अथवा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन कौशल संवर्धन विषयों का अध्ययन करना चाहता है, तो शिक्षण संस्थान विद्यार्थी को अनुमति प्रदान करते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को विद्यार्थी के ग्रेड कार्ड (परिणाम) में शामिल करेंगे।

क्र.	विषय	क्र.	विषय
1	सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण	14	इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी
2	औषधीय पौधे (Medicinal Plants)	15	हस्तशिल्प (Handicrafts)
3	पोषण एवं नैदानिक आहार (Nutrition and dietetics)	16	खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण (Food Preservation and Processing)
4	निर्यात आयात प्रबंधन (Export Import Management)	17	जैविक खेती (Organic Farming)
5	जीएसटी के साथ ई-एकाउंटिंग और कराधान (E-Accounting and Taxation with GST)	18	बागवानी (Horticulture)
6	वित्त सेवाएं और बीमा (Finance Services and Insurance)	19	सुरक्षा सेवाएं (Security Services)
7	खुदरा प्रबंधन (Retail Management)	20	कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार (Office Procedure and Practices)
8	डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing)	21	व्यक्तित्व विकास (Personality Development)
9	बिक्री कौशल (Salesmanship)	22	पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवाएं (Tourism transport and travel services)
10	अकाउंटिंग और टैली कोर्स (Accounting and Tally)	23	वर्मी कम्पोस्टिंग (Vermicomposting)
11	डेस्कटॉप प्रकाशन (डीपीटी) (Desktop Publishing DTP)	24	डेयरी प्रबंधन (Dairy Management)

क्र.	विषय	क्र.	विषय
12	वेब डिजाइनिंग (Web Designing)	25	चिकित्सा निदान (Medical Diagnostics)
13	विद्युत प्रौद्योगिकी (Electrical Technology)		

5. योग्यता संवर्धन आधार पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)

स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष में आधार पाठ्यक्रम (योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम) का अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन करना होगा। आधार पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्नपत्र की वार्षिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगी। आधार पाठ्यक्रम के विषयों में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। प्रथम वर्ष में भाषा के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान विषय के अध्ययन का अवसर मिलेगा।

आधार पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नानुसार है -

वर्ष	प्रश्न पत्र	विषय	अंक	क्रेडिट
प्रथम	प्रथम	हिन्दी	50	2-2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	पर्यावरण अध्ययन (Environment Studies)	50	2-2=4
		योग एवं ध्यान (Yog & Meditation)	50	
द्वितीय	प्रथम	हिन्दी	50	2-2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता (Startups & Enterpreneurship)	50	2-2=4
		महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)	50	
तृतीय	प्रथम	हिन्दी	50	2-2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	डिजिटल जागरूकता (Digital Awareness)	50	2-2=4
		व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण (Personality Development and Character Building)	50	

6. व्यावहारिक ज्ञान (Field Studies)

(फील्ड प्रोजेक्ट / इंटर्नशिप / एप्रेन्टिंसशिप सामुदायिक जुड़ाव)

व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा हेने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को अपनी रुचि, उपयोगिता एवं क्षमता के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपने संकाय के कार्य क्षेत्र में परियोजना कार्य Field project / शिक्षुता Internship / प्रशिक्षुता Apprenticeship / सामुदायिक जुड़ाव Community engagement में से किसी एक का चयन करना है।

9. परियोजना कार्य (Project Work)

नवीन अकादमिक संरचना में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है। परियोजना कार्य आधारित शिक्षण, विद्यार्थी के व्यक्तिगत अथवा समूह में रहकर (अनुसंधान गतिविधियों का संयोजन है, जिससे विद्यार्थी) फील्ड स्टडी के माध्यम से न सिर्फ अनुसंधान करना सीखता है अपितु समूह में एक साथ घनिष्ठ रूप में कार्य करना भी सीखता है। महाविद्यालय के बाहर के फील्ड स्टडी/ केस स्टडी के अनुभव विद्यार्थियों के लिए अमूल्य है। परियोजना कार्य के माध्यम से, विद्यार्थियों में समूह-अनुसंधान गतिविधियों के अलावा स्वप्रबंधन, लोकतांत्रिक राय निर्माण, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।

संक्षिप्त जानकारी

- **प्रगति प्रतिवेदन :** विद्यार्थियों द्वारा तीन प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप (Annex-P1, P2, P3) में देना होगा, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक सतत् मूल्यांकन का कार्य करेंगे.
- **परियोजना रिपोर्ट :** स्वहस्तलिखित न्यूनतम 5000 शब्दों में प्रस्तुत करना होगी. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार, चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ आदि का प्रयोग करना होगा
- **मौलिकता :** परियोजना कार्य किसी भी रूप में नकल पर आधारित नहीं होगा। विद्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट के साथ देना होगा कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट उनका मौलिक कार्य है.
- **अंकों का विभाजन :** आंतरिक (सतत्) एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50-50 अंकों का होगा.

10. प्रशिक्षुता (Internship) एवं शिक्षुता (Apprenticeship)

प्रदेश के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक व व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षुता / प्रशिक्षुता एक प्रमुख अवयव है। प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी संस्था / फर्म/ व्यावसायिक संगठन / व्यक्ति के साथ रहकर पूर्ण करता है तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात् संस्था / फर्म / व्यावसायिक संगठन / व्यक्ति द्वारा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है।

संक्षिप्त जानकारी

- **अनुमति :** प्राचार्य एवं शिक्षकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षुता/ प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए जिस संस्था/ व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रतिष्ठित, स्तरीय व वैधानिक है तथा शिक्षुता/ प्रशिक्षुता कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिये सक्षम है।
- **प्रारम्भिक रिपोर्ट :** प्राथमिक चरण कार्य की प्रारंभिक रुपरेखा, कार्यक्षेत्र, संस्थान की जानकारी आदि (Annex–A1) में प्रस्तुत करना होगा।
- **अंतिम रिपोर्ट :** शिक्षुता/ प्रशिक्षुता कार्य की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र (Annex– A2) में प्रस्तुत करना होगा।

- **प्रतिपुष्टि प्रपत्र :** कार्य उपरांत शिक्षुता पाठ्यक्रम में संबंधित संस्था/ व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा, जो कि कुल अंक का 50 प्रतिशत होगा।
- विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्वहस्तलिखित, न्यूनतम 2000 शब्दों की होनी चाहिए, आवश्यकतानुसार ग्राफ, फोटोग्राफ, चार्ट आदि का समावेश किया जाना चाहिए।

11. सामुदायिक जुड़ाव / सेवा कार्य

इस क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक विद्यार्थी किसी स्थानीय प्रतिष्ठित स्वयंसेवी / मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संगठन के साथ जुड़कर किसी सकारात्मक सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी,अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जलसंरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकेंगे।

संक्षिप्त जानकारी

- विद्यार्थी निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप कार्य व संस्था का नाम/ विवरण प्रभारी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे.
- **कार्य व स्वरूप की रूपरेखा :** प्रस्तावित कार्य व स्वरूप की रूपरेखा व लक्षित प्रतिफल का विवरण भी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे। (Annex – C1).
- **अंतिम विस्तृत रिपोर्ट व अनुशंसाएं :** स्व-हस्तलिपि में फोटोग्राफ्स सहित निर्धारित प्रपत्र (Annex– C2) में जमा करेगा, सम्बंधित सहयोगी/ मार्गदर्शक संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
- **संभावित क्षेत्र :** सकारात्मक सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जलसंरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकेंगे।
- **अति आवश्यक :** संस्था किसी धार्मिक, जातिगत अथवा राजनैतिक रूप से पूर्णतः निरपेक्ष हो, किसी सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा से अभिप्रेरित न हो, किसी वैधानिक स्तर पर चिन्हित व सत्यापित हो।
- एन.जी.ओ. के पंजीकरण की जानकारी ngodarpan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 1258 ग्रामों को गोदग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य / शिक्षुता / प्रशिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव में से किसी एक का चयन कर उसका प्रतिवेदन तैयार करना है। इस सम्बध में सामुदायिक जुड़ाव के अतर्गत महाविद्यालायों के विद्यार्थी स्थानीय एनजीओ के साथ जुड़ कर गोद ग्राम के अंतर्गत निर्धारित की गई कार्य योजना को दृष्टिगत रखते हुए अपना प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं ।

पाठ्यक्रम संरचना –

विद्यार्थी जिन विषयों का चयन करना चाहते है, उसका पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर नवीन पाठ्यक्रम पर देखे।

पाठ्यक्रम – विभाजन

खण्ड अ - सामान्य जानकारी एवं लर्निंग आउटकम

इसमें पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी है - पाठ्यक्रम का कोड, पाठ्यक्रम का शीर्षक, उसका प्रकार जैसे- मुख्य विषय/वैकल्पिक सामान्य वैकल्पिक/व्यावसायिक इत्यादि की जानकारी है। इसके पश्चात् पूर्वाप्रेक्षा में उस विषय को पढ़ने के लिए अपेक्षित योग्यता अर्हता क्या है? उसका विवरण दिया गया है।

पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियॉ (लर्निंग आउटकम) – राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें बताया गया है कि इस विषय के अध्ययन करने से विद्यार्थी क्या सीखेगा? इसकी उसके जीवन में क्या उपयोगिता है? इस विषय में रोजगार की क्या सम्भावनाएं है ? इसके अध्ययन से वह कौन सा कौशल अर्जित करेगा? इस लर्निंग आउटकम के आधार पर ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा।

क्रेडिट अंक –

क्रेडिट - क्रेडिट से तात्पर्य अध्ययन के घण्टों से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक प्रश्नपत्र के अध्ययन के घण्टे निश्चित किए गए है। जिन्हें क्रेडिट कहा जाता है। 15 घण्टे का अध्ययन 1 क्रेडिट माना जाता है। अर्थात 15 व्याख्यान पर एक क्रेडिट होता है। एक सत्र में कुल 180 कार्यदिवस अध्यापन होता है।

- 6 क्रेडिट के सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र में 1 घण्टे के मान से सप्ताह में 3 व्याख्यान तथा कुल 90 व्याख्यान होंगे।

- 4 क्रेडिट के सैद्धान्तिक/पाठयक्रम में 1 घण्टे के मान से सप्ताह में 2 व्याख्यान तथा कुल 60 व्याख्यान होंगे।
- 2 क्रेडिट में सैद्धान्तिक/पाठयक्रम में 1 घण्टे के मान से सप्ताह में 3 व्याख्यान तथा कुल 30 व्याख्यान होंगे।

जिन विषयों में सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के साथ प्रायोगिक कार्य होता है, उनमें सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 4 क्रेडिट का और प्रायोगिक प्रश्न पत्र 2 क्रेडिट का होगा।

कुल अंक – इस विषय में सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक अधिकतम अंक कितने होगें ? इसका विवरण दिया गया है इस विषय में सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने होगें ? इसका विवरण दिया गया है।

खण्ड ब - पाठ्यक्रम की विषय वस्तु

इस भाग में प्रश्न पत्र की इकाई वार विषयवस्तु है। जिसमें प्रति सप्ताह व्याख्यानों की संख्या दी गई है। कुल व्याख्यान कितने होंगे। इसके बाद इकाईवार विषय का पाठ्यक्रम तथा वह कितने व्याख्यान में पूरा होगा, यह भी दिया गया है। सार बिन्दु के रूप में की वर्ड दिए गए है, जिससे विषयवस्तु को छात्र इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसका ज्ञान विद्यार्थी के लिए अपेक्षित है।

भाग स - अनुशंसित अध्यापन के संसाधन

इस भाग में संबन्धित प्रश्नपत्र के अध्ययन के लिए जिन पुस्तकों में सामग्री उपलब्ध होगी, उन संदर्भ ग्रंथों की सूची है। लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशन तथा प्रकाशन वर्ष है। इसी में अनुशंसित वेबसाइट एवं डिजिटल सम्पर्क सूत्र के रूप में कई वेबसाइटों के लिंक दिए गए हैं, जिससे संबंधित पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री आप इन्टरनेट से खोज कर पढ़ सकते हैं।

भाग द - मूल्यांकन विधि – मूल्यांकन 02 प्रकार से होगा –

1. आंतरिक मूल्यांकन - इसे सतत व्यापक मूल्यांकन सी.सी.ई. कहते हैं।
2. बाह्य मूल्यांकन - विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षा के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन होगा।

प्रत्येक सैद्धातिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन एवं 70 अंक विश्वविद्यालयीन बाह्य मूल्यांकन परीक्षा के होंगे।

ग्रेड कार्ड -

वार्षिक परीक्षा AGPA (Annual Grade Point Average) तथा अंतिम परीक्षा परिणाम CGPA (Cumulative Grade Point Average) के रूप में होगा।

छात्र को प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए न्यूनतम अपेक्षित क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित करने पर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के बाद अर्जित ग्रेड के आधार पर सभी छात्रों को ग्रेड कार्ड जारी किए जाएंगे। उस शैक्षणिक वर्ष तक अर्जित सीजीपीए के साथ प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में प्राप्त एजीपीए/एसजीपीए और पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, ग्रेड) को ग्रेड कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा।

Letter Grade	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
O	10	Outstanding	90-100
A+	9	Excellent	80-89
A	8	Very good	70-79
B	7	Good	60-69
B+	6	Above Average	50-59
C	5	Average	40-49
P	4	Pass	35-39
F	0	Fail	0-34
AB	0	Absent	Absent

एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज(एजीपीए) की गणना

Course	Credits (C)	Grade	Grade Point (GP)	Credit Points (C x GP)	AGPA (Total Credit Point / Total Credit)
Course 1	6	A	8	48	276/40 = 6.90 Annual Grade Point Average (वार्षिक ग्रेड प्वाइंट औसत -एजीपीए), एक वर्ष में छात्र के प्रदर्शन की गणना है।
Course 2	6	C	5	30	
Course 3	6	B+	7	42	
Course 4	6	O	10	60	
Course 5	4	B	6	24	
Course 6	4	P	4	16	
Course 7	4	A+	9	36	
Course 8	4	C	5	20	
TOTAL	40		-	276	

क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) की गणना

Year	Credits	AGPA	Credits x AGPA	CGPA
1	40	7.50	300.00	CGPA = Total (Credits x AGPA) / Total Credits CGPA = 1229.60 / 160 = 7.685 = 7.69 (roundoff) समस्त वर्ष में छात्र के द्वारा पूर्ण किए गए समस्त पाठ्यक्रमों के क्रेडिट का योग है।
2	40	7.58	303.20	
3	40	7.32	292.80	
4	40	8.34	333.60	
Total	**160**		**1229.60**	

वर्षवार प्रश्नपत्रों की संख्या एवं क्रेडिट

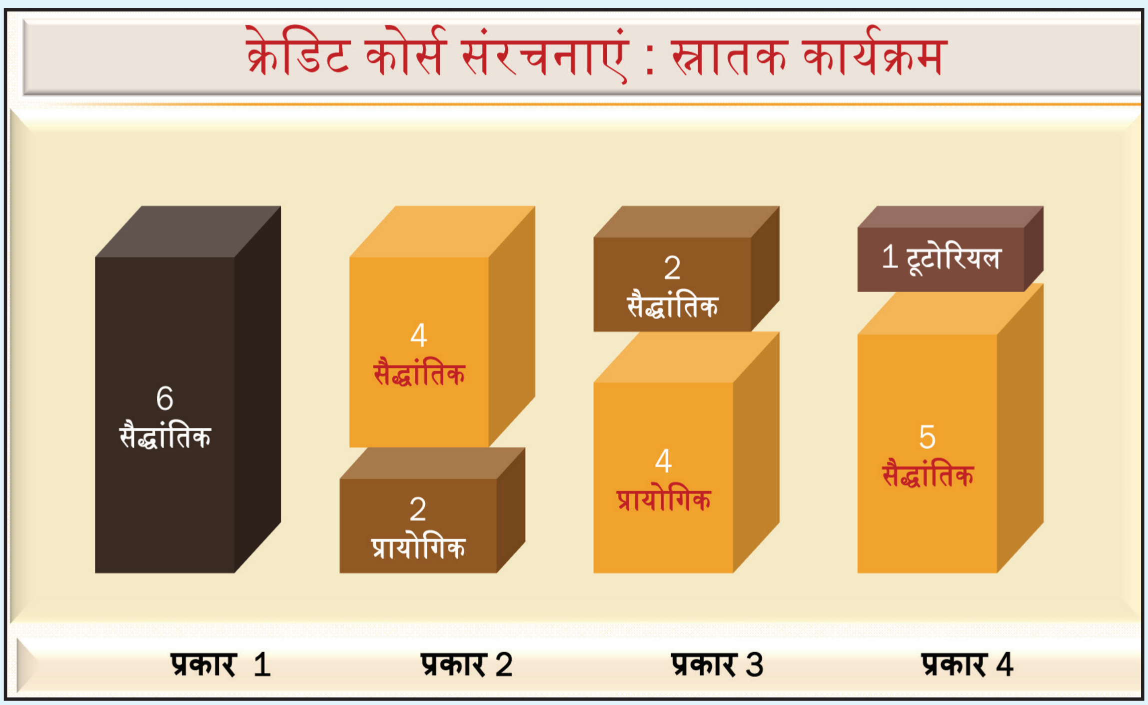

I- स्नातक स्तर

चार वर्ष में कुल क्रेडिट (40+40+40+40) = 160

अ.	प्रथम वर्ष	:	40
ब.	द्वितीय वर्ष	:	40
स.	तृतीय वर्ष	:	40
द.	चतुर्थ वर्ष	:	40

II- प्रथम वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6 x 1 = 06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6 x 1 = 06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4 x 1 = 04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4 x 2 = 08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4 x 1 = 04
			कुल 40

III- द्वितीय वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6 x 1 = 06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6 x 1 = 06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4 x 1 = 04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4 x 2 = 08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4 x 1 = 04
			कुल 40

IV- तृतीय वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6 x 1 = 06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6 x 1 = 06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4 x 1 = 04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4 x 2 = 08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4 x 1 = 04
			कुल 40

V- चतुर्थ वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
			4 x 2 = 08
विषय 2 :	शोध प्रविधि	(RM)	4 x 1 = 04
	गौण विषय/लघु शोध प्रबंध	(MNR)	4 x 1 = 04
	रिसर्च प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता	(FS)	6 x 2 = 12
			कुल 40

VIII- Abbreviation (संक्षेपाक्षर) :

MJR : Major
MNR : Minor
OEC : Open Elective Course
SEC : Skill Enhancement Course
AEC : Ability Enhancement Course
RM : Research Methodology
RP : Research Project
FS : Field Studies

मुख्य विषय	- 56 Credits
गौण विषय	- 26 Credits
वैकल्पिक विषय	- 18 Credits
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	- 12 Credits
आधार पाठ्यक्रम	- 24 Credits
फील्ड प्रोजेक्ट / इंटर्नशिप / एप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी इंगेजमेंट	- 24 Credits

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को एक नये आकाश एवं नयी उड़ान की सौगात मिली है। इस नीति के द्वारा अकादमिक लचीलेपन के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप विषयों के मिश्रित चयन की सुविधा का लाभ ले सकेंगे, साथ ही प्रतिवर्ष अर्जित क्रेडिट के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे। पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक ज्ञान सम्मिलित किए जाने से विद्यार्थी की विषय संबंधी समझ भी विकसित होगी। वैकल्पिक विषय का चयन कर विद्यार्थी अपने संकाय से इतर अन्य संकाय के विषय का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वैकल्पिक विषयों के अंतर्गत एन.सी.सी., शारीरिक शिक्षा, एन.एस.एस. जैसे विषय विद्यार्थी के सर्वांगीन विकास के साथ उसे सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने से विद्यार्थियों को जहाँ आत्म गौरव का बोध होगा, वहीं नवीन प्रेरणा भी मिलेगी।

व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देते हुए कौशल संवर्धन आधारित पाठ्यक्रम निर्माण से विद्यार्थियों के लिए रोजगार उपलब्धता की सुविधा बढ़ेगी तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना मूर्त हो सकेगी। शिक्षुता, प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव एवं परियोजना कार्य द्वारा व्यक्तित्व विकास, समग्र शिक्षा एवं सामाजिक संपृक्तता की भावना को बल मिलेगा। स्टार्टअप्स और उद्यमिता जैसे विषय विद्यार्थी की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। स्वयं के संसाधनों से ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूर्ण करने का विकल्प विद्यार्थियों की अध्ययनशील प्रवृति को

बढ़ावा देने के साथ उसमें अतिरिक्त आत्मविश्वास का भी संचार करेगा। इस प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व विकास की संपूर्ण संभावनाओं को तो साकार कर ही सकेंगे, रोजगार की दृष्टि से सक्षम एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकेंगे, यही इस नीति का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः "टास्क फोर्स"

क्र	नाम	समिति
1	डॉ. मोहन यादव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2	श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश	सदस्य सचिव
3	श्री दीपक सिंह, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय	संचालक सदस्य
4	डॉ. आर.सी. कान्हेरे, अध्यक्ष, शुल्क विनियामक आयोग, भोपाल	सदस्य
5	डॉ. ए.डी.एन. बाजपेयी, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
6	डॉ. प्रकाश शास्त्री ,पूर्व प्राध्यापक, कृषि विश्वविद्यालय, खण्डवा	सदस्य
7	श्री. एस.एन. सिंह चौहान, आई.ए.एस.	सदस्य
8	डॉ. अनूप स्वरुप, कुलपति, जागरण लेक सिटी विश्विद्यालय, भोपाल	सदस्य
9	डॉ. विश्वास कुमार चौहान, सदस्य प्रशासनिक, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल	सदस्य
10	डॉ. डी.सी. तिवारी, पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	सदस्य
11	डॉ. उमेश होलानी, आचार्य, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	सदस्य
12	डॉ. रघुराज तिवारी, कृषि महाविद्यालय, रीवा	सदस्य
13	डॉ. भरत मिश्र, कुलपति, महात्मा गॉधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना	सदस्य
14	डॉ. हर्षवर्धन श्रीवास्तव, प्रो. कुलपति, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना	सदस्य
15	डॉ. कपिल देव मिश्र, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
16	डॉ. अलकेश चतुर्वेदी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
17	डॉ. ऋतु यादव, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर	सदस्य
18	डॉ. एस.एन.मिश्र, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	सदस्य
19	डॉ. एस.एन.शर्मा, पूर्व प्राचार्य, शासकीय. विधि महाविद्यालय, उज्जैन	सदस्य
20	डॉ. वरुण गुप्ता, निदेशक, वरुण गुप्ता वाणिज्य अकादमी, उज्जैन	सदस्य
21	डॉ. एस.के. जैन, पूर्व कुलसचिव, राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय, भोपाल	सदस्य
22	डॉ. सचिन तिवारी, प्राध्यापक, एल.एन.सी.टी. भोपाल	सदस्य
23	डॉ. अशोक ग्वाल, पूर्व कुलपति, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल	सदस्य
24	डॉ. गोपाल शर्मा, निदेशक, सामाजिक शोध संस्थान, उज्जैन	सदस्य
25	श्री राम जी तिवारी, पूर्व निदेशक, संस्कृति मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
26	डॉ. उमाशंकर पचौरी, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय शिक्षण मण्डल, ग्वालियर	सदस्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : "शीर्ष समिति"

क्र	नाम	समिति
1	प्रो. ए.डी.एन. वाजपेयी कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	संयोजक
2	डॉ. आर.सी. कान्हेरे अध्यक्ष, शुल्क विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य
3	डॉ. अशोक ग्वाल पूर्व कुलपति, रवीन्द्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल	सदस्य
4	डॉ. हर्षवर्धन श्रीवास्तव प्रो. कुलपति, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना	सदस्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : "समन्वय प्रकोष्ठ"

क्र.	नाम	समिति
1	श्री दीपक सिंह आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश	संयोजक
2	डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल	समन्वयक
3	डॉ. अजय प्रकाश खरे प्राध्यापक , उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	सह- समन्वयक
4	डॉ. दिवा मिश्र प्राध्यापक, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भोपाल	सदस्य
5	डॉ. सुशील दुबे प्राध्यापक, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर	सदस्य

■■■

नोट्स :

कार्यशाला
एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

आयोजक : क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च
विभाग, सागर संभाग, सागर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

www.highereducation.mp.gov.in /highereducationdemptmp @highereducationdemptmp